न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./73/2023/बाड़मेर

अपीलांट	**रेस्पोडेंटगण**
1. बलदेवकुमार पुत्र वीरमाराम 2. सांवलाराम पुत्र नगाराम जाति जटिया, निवासी जटियों का नया वास, बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर (अपीलाधीन आवेदन संख्या 152/2011 के विप्रार्थी संख्या 19 व 28)	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर राजस्व आवेदन संख्या 152/2011 बउनवान सरकार बनाम सवाईराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 23.10.2021 के विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

उपस्थिति

1. वकील श्री वीरमाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. राजकीय अभिभाषक श्री हरीराम चौधरी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—07.04.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाधीन आदेश के द्वारा रेस्पोडेंट/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार करके ग्राम महाबार तहसील, बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 83 रकबा 173.04 बीघा भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज नाथाराम से प्राप्त हुई है। नाथाराम के वारिसान में विभाजन होने के बाद वर्तमान में अपीलांटगण के हिस्से में आने वाली भूमि पर अपीलांटगण का कब्जा काश्त है। वर्तमान में अपीलांटगण की खातेदारी पैतृक भूमि निम्न प्रकार से आई हुई हैः— अपीलांट संख्या 01 बलदेवकुमार मौजूदा खसरा संख्या 2525/83 रकबा 07.12 बीघा (क्रय शुदा रकबा), अपीलांट संख्या 02 सांवलाराम मौजूदा खसरा संख्या 2649/83 रकबा 17.05 बीघा भूमि (क्रय शुदा रकबा) आई है। अपीलांटगण द्वारा उक्त भूमि का कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं लिया गया और न ही धारा 177 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है, जिसके विरूद्ध अपील पेश की जा रही है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांट पक्ष के वकील की आपत्ति है कि पटवारी ने अपीलाधीन आराजी पर काबिज खातेदारों के कृषि कार्य व गैर कृषि कार्यों की जांच सही नहीं कर समूची आराजी खसरा संख्या 83 मौजा महाबार का सम्पूर्ण रकबा गैर कृषि कार्य के अधीन बता दिया, जबकि अपीलांटगण अपनी कृषि जोत पर खेती का ही काम करते आ रहे हैं। अपीलांटगण सहित समस्त पांच खातेदारान विप्रार्थीगण के विरूद्ध अपना प्रकरण विड्रो करते हुये अपने पत्र संख्या राज/2372 दिनांक 19.04.2012 से सूचना विचारण न्यायालय में प्रस्तुत की। धारा 177 रा.का.अधि. का प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर ने दर्ज करवाया था और उन्होने ही आंशिक रूप से अपीलांट सहित पांच गैरसायलान खातेदारान के विरूद्ध मुकदमा विड्रो कर लिया तो उसके बाद अपीलांटगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अपीलाधीन निर्णय कैम्प कोर्ट में पारित किया गया। कैम्प कोर्ट में पत्रावली सुनवाई हेतु नियत करने बाबत अपीलांटस को कोई सूचना/नोटिस नहीं दिया गया। हस्तगत प्रकरण अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा दिनांक 23.10.2021 को स्वीकार किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध मातहत अदालत में पुर्नविलोकन हेतु आवेदन पेश किया गया जो दिनांक 21.04.2023 को इस टिप्पणी के साथ खारिज किया गया कि धारा 177 रा.का.अधि. के निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में करने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना सरसरी तौर पर पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलांटगण द्वारा उक्त भूमि का कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं लिया गया और न ही धारा 177 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश अपीलांटस के हिस्से की सीमा तक निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुना नहीं गया। अपीलाधीन आदेश कैम्प कोर्ट में पारित किया गया। कैम्प कोर्ट की अपीलांटस को सम्यक सूचना नहीं है। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलांटस के विरूद्ध कार्यवाही का विड्रो की गई। इसलिए प्रकरण का संशोधन करते हुए निर्णय किया जाना विधि सम्मत था। हस्तगत अपील को स्वीकार

(नवनीत कुमार)
सजाय अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कर प्रकरण को रिमाण्ड कर अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिया जाता है तो पक्षकारान के मध्य न्याय करने में सुविधा होगी।

सर्वप्रथम धारा 05 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत होगा। अधिवक्ता अपीलांटस ने उक्त आवेदन पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुने बिना निर्णय पारित किया गया। हस्तगत प्रकरण में दिनांक 23.10.2021 को निर्णय पारित होने के पश्चात पुर्नविलोकन हेतु आवेदन विचारण न्यायालय में पेश किया गया। उक्त आवेदन दिनांक 21.04.2023 को इस टिप्पणी के साथ खारिज किया कि धारा 177 रा.का.अधि. के निर्णय की सक्षम न्यायालय में अपील करने का प्रावधान है। माह अप्रैल– मई में कर्मचारियों की हड़ताल होने से पुर्नविलोकन आवेदन पर पारित आदेश दिनांक 21.04.2023 का अपीलांटगण अथवा वकील अपीलांटगण को ज्ञान नहीं हुआ तथा उसके बाद स्थिति सामान्य होने पर पुर्नविलोकन की पत्रावली की जानकारी लेकर उस पर पारित आदेश की नकल हेतु आवेदन पेश कर दिनांक 30.05.2023 को नकल प्राप्त की तथा आवेदन पर पारित आदेश के वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे।

अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयमपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रार्थी तहसीलदार बाड़मेर के आवेदन पत्र का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विस्तृत विवेचन के पश्चात पारित किया गया। अपीलाधीन आराजी पर आवासीय प्लॉट बनाकर एवं कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग किया है। उक्त भूमि के मौके पर प्लॉट की कटिंग करके कच्चे रास्ते सड़के बनाकर एवं प्लॉटों की निशानदेही हेतु पत्थर लगाकर आवासीय कॉलोनी बनाई गई। उक्त खसरों में कृषि कार्य नहीं किया जाना पाया गया। हस्तगत अपील पत्रावली के साथ अपीलांटस द्वारा वर्तमान गिरदावरी भी पेश नहीं की गई। अपीलांटस द्वारा अपीलाधीन आराजी पर नियमित कृषि कार्य किया गया है ऐसा कोई दस्तावेजात भी उनके द्वारा पेश नहीं किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में वर्णित

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रावधानों का खातेदारों द्वारा उल्लंघन करने पर उक्त कार्यवाही अमल में लाई जाती है तथा खातेदारी भूमि को खालसा किया जाता है। अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटस की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर राजस्व आवेदन संख्या 152/2011 वउनवान सरकार बनाम सवाईराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 23.10.2021 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

7/4/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 07.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/4/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर